

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- डॉ०कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या-64 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

रामलाल पिता भैरू भील, जाति भील, आयु 42 साल पेशा काश्तकारी निवासी हेमपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव

अप्रार्थी की ओर से :- परोकार सरकार।

दिनांक:- 16.03.2026

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम लसाणा प0ह0 बहेलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 56 खसरा संख्या 193 रकबा 0.2800 है0, तथा खसरा संख्या 194 रकबा 0.8000 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं सहकब्जेकाश्त की हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 193, 194 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास में के बाड़े में फसल को रखने को लेकर व आये दिन में घास फूस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लसाणा प0ह0 बहेलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 56 खसरा संख्या 193 रकबा 0.2800 है0, तथा खसरा संख्या 194 रकबा 0.8000 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़